

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1977/आश्विन 19, 1899

No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1977/ASVINA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th October 1977

SUBJECT.—Import of Palm oil under free licensing scheme—Import policy for April 1977—March 1978.

No. 88-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 73-ITC(PN)/77, dated the 20th September, 1977, banning the import of Palm oil refined for direct human consumption during the period April, 1977—March, 1978.

2 On a further review of the position, it has been decided that:—

- (i) all licences issued for Palm oil refined for direct human consumption, including those if any issued under Para 3 of the instant Public Notice against which shipment is not made (wholly or partly) on or before the 15th October, 1977 shall stand automatically invalidated for (further) imports; and
- (ii) no fresh licences for the import of Palm oil refined for direct human consumption shall be granted even in any other cases covered by the para 3 of the instant Public Notice.

K V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1977

विषय .—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत ताड़ के तेल का आयात—अप्रैल, 1977—मार्च 1978 के लिए आयात नीति ।

सं० 88-आईटीसी (पीएन)/77 —अप्रैल, 1977—मार्च 1978 अवधि के दौरान मनुष्य के सीधे उपभोग के लिए शुद्ध ताड़ के तेल के आयात के निषेध के संबंध में बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 73-आई०टी०सी० (पी०एन०) 77, दिनांक 20 मितम्बर, 1977 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की आगे पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि :—

- (1) मनुष्य के सीधे उपभोग के लिए शुद्ध ताड़ के तेल के लिए जारी किए गए वे सभी लाइसेंस जिनमें यदि कोई हो तो उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 के अन्तर्गत जारी किए गए वे लाइसेंस भी शामिल हैं जिन के मद्दे 15 अक्टूबर को या इससे पूर्व (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) पोतलदान नहीं किया गया है तो वे आयातों (आम के लिए) के लिए स्वतः अवैध होंगे, और
- (2) मनुष्य के सीधे उपभोग के लिए शुद्ध ताड़ के तेल के आयात के लिए कोई भी नए लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाएंगे और उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में भी नहीं जारी किए जाएंगे ।

का० वे० शेषाद्रि,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महान् प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977